संख्या-198/797/69-1-2023-14(235)/2015-1447894

1737/C/S

AD/FC

17/8/2023

147
23/8/23

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2023

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में गति लाये जाने के लिये इसके सरलीकरण हेतु एस०एन०ए० प्रणाली के माध्यम से जनपद स्तर के स्थान पर मुख्यालय स्तर से लाभार्थियों को उसके खाते में सीधे धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-819/05/एचएफए-डीपीआर/पीएमसी-वॉल्यू-11/2023-24 दिनांक 24 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार(बीएलसी) घटक के अन्तर्गत भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-58/2022/162/69-1-22-14(235)/2015 दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार(बीएलसी) घटक के अन्तर्गत जनपद स्तर से लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु एसएनए प्रणाली के अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित किया जाना प्रारंभ किया गया।

F.C.
17/8/2023

3. उपरोक्त प्रणाली में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण बड़ी संख्या में भुगतान लंबित रहने के कारण कतिपय जनपदों में द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने मे अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके दृष्टिगत उक्त शासनादेश संख्या-58/2022/162/69-1-22-14(235)/2015 दिनांक 25 मार्च 2022 में संशोधन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

कार्यक्रम अधि।
श्री मौर्या

(1) समस्त जनपद वर्तमान तक स्वीकृत परियोजनाओं में प्रथम लेवल जियो टैग के उपरान्त प्रथम किश्त हेतु लंबित लाभार्थियों की जांच 10-15 दिवस में पूर्ण करा ली जाय। साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी प्रेषित किया जाय कि सभी लाभार्थियों की जांच पूर्ण कर ली गयी है तथा समिति की रिपोर्ट के अनुसार सभी लाभार्थी पात्र हैं।

FC
17/8/23

(2) नई प्रस्तावित प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे-

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायित्व	टाईम लाईन
1	डीपीआर तैयार कर प्रेषित करना		जनपद से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तीन सप्ताह
1.1	लाभार्थियों की प्रात्रता की जॉच	जॉच समिति	दिवस 10
1.2	लाभार्थियों की पत्रावली तैयार करना	संस्था	
1.3	एम०आई०एस०पोर्टल पर लाभार्थियों की	संस्था	

	एन्ट्री व अटैचमेन्ट		
1.4	पीएमएमएस पोर्टल पर लाभार्थियों की एन्ट्री	सीएलटीसी इंजीनियर	दिवस 10
1.5	डीबीटी हेतु लाभार्थियों की आधार सीडिंग	संस्था	
2	**पात्र लाभार्थियों के आवास का सही स्थान पर जिओ टैग**		CSMC कार्यवृत्त जारी होने से 120 दिवस
2.1	नॉट स्टार्टेड (प्रथम) जिओ टैग		CSMC कार्यवृत्त जारी होने से 15 दिवस
2.2	फाउण्डेशन लेवल (द्वितीय) जिओ टैग		प्रथम किश्त अवमुक्त तिथि से 30 दिवस
2.3	लिन्टर लेवल (तृतीय) जिओ टैग		द्वितीय किश्त अवमुक्त तिथि से 30 दिवस
2.4	रूफलेवल (चतुर्थ) जिओ टैग	संस्था	द्वितीय किश्त अवमुक्त तिथि से 50 दिवस
2.5	कम्प्लीट लेवल (पंचम) जिओ टैग		द्वितीय किश्त अवमुक्त तिथि से 90 दिवस
2.6	जिओ टैग किए गए लाभार्थियों का भुवन पोर्टल पर मॉडरेशन	सीएलटीसी इंजीनियर	जिओ टैग तिथि से 02 दिवस
3	**किश्तों का भुगतान**		
3.1	प्रथम किश्त	परि0अधि0 एवं सीएलटीसी इंजीनियर	नॉट स्टार्टेड जिओ टैग से 01 सप्ताह
3.2	द्वितीय किश्त		फाउण्डेशन जिओ टैग से 01 सप्ताह
3.3	तृतीय किश्त		कम्प्लीट जिओ टैग से 01 सप्ताह

(3) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कार्यों में त्रुटि की दशा में निम्नवत् कार्यवाही मिशन निदेशक, सूडा द्वारा प्रस्तावित की जायेगी:-

1 शासनादेश संख्या-568/69-1-2019 दिनांक 01.07.2019 प्राविधानानुसार जांचोपरान्त तैयार की गयी डी0पी0आर0 में अपात्र पाये जाने की दशा में जांच समिति के समस्त सदस्य उत्तरदायी होंगे, जिनके विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ-साथ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाये, यदि लाभार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

2. लाभार्थियों की पत्रावली निर्धारित समय में तैयार न किये जाने पर संस्था पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाये।

3. भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों की एन्ट्री, अटैचमेन्ट (फैमिली आधार सहित) निर्धारित समय में तैयार न किये जाने की दशा में संस्था पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाय।

4. पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर शत-प्रतिशत लाभार्थियों की एन्ट्री निर्धारित समय में न किये जाने पर सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

5. सम्बन्धित चरण का जिओ टैग निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने अथवा अपात्र व्यक्ति/गलत स्थान पर/नियम विरूद्ध जिओ टैग किये जाने की दशा में सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही तथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाय।

6. गलत जिओ टैग किये जाने के फलस्वरूप गलत भुगतान होने की दशा में अवमुक्त धनराशि की वसूली लाभार्थी से की जाये। लाभार्थी से वसूली न होने की दशा में सम्बन्धित संस्था को किये जाने वाले भुगतान में से धनराशि समायोजित कर ली जाय।

7. यदि लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण में बाधा उत्पन्न की जाती है/समय से निर्माण नहीं किया जाता है, तो उनको नियमानुसार नोटिस निर्गत करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाये। नोटिस

प्राप्त होने के उपरान्त भी आवास निर्मित न किये जाने की दशा में अवमुक्त अनुदान की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये।

8. तालिका के बिन्दु संख्या-3 हेतु सम्बन्धित लेवल का जिओ टैग होने के उपरान्त परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर द्वारा 07 दिवस के अन्दर भुगतान हेतु पी0पी0ए0 तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जाये। पी0पी0ए0 के साथ परियोजना अधिकारी, सी0एल0-टी0सी0 इंजीनियर एवं संस्था द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाय, जिसमें पी0पी0ए0 में सम्मिलित लाभार्थियों के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः-
   - क- सभी लाभार्थी शासनादेश संख्या-568 दिनांक 01.07.2019 में उल्लिखित समिति की जांच में पात्र पाए गये हैं।
   - ख- सभी लाभार्थी डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं तथा डी0पी0आर0 से भिन्न कोई भी व्यक्ति पी0पी0ए0 में सम्मिलित नहीं है।
   - ग- जिओ टैग चयनित एवं सही स्थान पर तथा नियमानुसार किया गया है।
   - घ- किसी भी लाभार्थी को प्रस्तावित किश्त का भुगतान पूर्व में कभी भी नहीं किया गया है।

9. उक्त बिन्दुओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर एवं संस्था का होगा, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(4) योजनान्तर्गत आवास पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि कोई लाभार्थी धनराशि न होने के कारण आवास पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो उसे पी0एल0आई0 से गैप फंडिंग कराकर आवास पूर्ण कराना तथा लाभार्थी के बाहर चले जाने/इच्छुक न होने की स्थिति में उससे वसूली कराये जाने में संस्था द्वारा सहायता की जायेगी।

(5) अतएव शासनादेश संख्या-58/2022/162/69-1-22-14(235)/2015 दिनांक 25 मार्च, 2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत डिसेन्ट्रलाईजेशन(विकेन्द्रीकरण) अर्थात् जनपद स्तर से लाभार्थियों को किये जा रहे भुगतान की प्रक्रिया को संशोधित करते हुये पात्र लाभार्थियों को जियो टैग के आधार पर एस0एन0ए0 प्रणाली के अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय स्तर से सीधे लाभार्थी के खाते में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) उक्त शासनादेश संख्या-58/2022/162/69-1-22-14(235)/2015 दिनांक 25 मार्च, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को नियमित एवं समयबद्ध रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

Acer(I)/2022-23/General Letters/(3.1)

संख्या-198 /2023/797/69-1-23-14(235)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. संयुक्त सचिव (हाउसिंग फार आल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. निदेशक (हाउसिंग फार आल निदेशालय), भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उत्तर प्रदेश।
17. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
19. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
21. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
22. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
23. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
24. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।
25. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

16/08/2023

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।